

# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।

(जिला शास्त्र शाखा)

पत्रांक 1408/रा0,

प्रेषक,

अपर समाहर्ता,  
-सह-  
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,  
बोकारो।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,  
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,  
रॉंची।

बोकारो, दिनांक 24/06/2020

विषय :- झारखण्ड राज्य खाद्य निगम, रॉंची से प्राप्त ऑनलाईन शिकायत की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम, रॉंची से प्राप्त ऑनलाईन शिकायत के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 1359/रा0, दिनांक 16.06.2020 के द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांगी की गई थी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो ने अपने पत्रांक 804/आ0, दिनांक 20.06.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि शिकायत संख्या- 11062020003, 16062020005, 11062020030, 12062020017, 11062020016, 15062020001, 13062020010, 13062020008, 13062020006, 13062020004, 13062020003, 19052020001, 13062020007, 13062020005, 13062020002, 12062020029, 12062020028, 12062020027, 12062020026, 12062020024, 12062020022, 12062020016, 12062020006, 17052020002, 14052020003, 07052020005, 06052020003, 06052020001, 0252020002, 02052020001, 30042020005, 30042020004, 30042020003, 30042020002, 06032020008, 06032020007, 05032020001 एवं 24022020002 में शिकायतकर्ताओं द्वारा पी0एच0एच0 राशन कार्ड में अपने परिवार का नाम जोड़ने की माँग की गयी है। आवेदकों को दूरभाष के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करा दी गयी है तथा राशन कार्ड में नाम जोड़ने हेतु ऑनलाईन की गयी आवेदन के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न कर पुराना समाहरणालय, बोकारो के कार्यालय में कमरा नम्बर-19 में जमा करने का निदेश दिया गया है तथा आवेदकों द्वारा दिए गए ऑनलाईन आवेदन को जाँचोपरांत रिक्ति होने पर प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड में नाम जोड़ने की कार्रवाई की जायेगी।

अतः अग्रोत्तर कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन समर्पित।

विश्वासभाजन,



-सह-

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,  
बोकारो।